आरई-2

शैक्षणिक परिषद की बैठकों के लिए विनियम

[दिनांक 28.06.2014 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 20वीं बैठक में प्रस्ताव सं EC20.5.1 द्वारा अनुमोदित]

(सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 23 एवं संविधि 13 के अंतर्गत)

1. शैक्षणिक परिषद की बैठक सामन्यत: एक कैलंडर वर्ष में कम से कम दो बार होगी अथवा कुलपति के निर्णय से किसी भी समय पर बैठक हो सकती है.

2. कुलपति शैक्षणिक परिषद के अध्यक्ष और कुलसचिव सचिव होंगे.

3. शक्षणिक परिषद की बैठक की तिथि कुलपति द्वारा निर्धारित की जाएगी, जो शैक्षणिक परिषद के अध्यक्ष हैं.

4. कुलसचिव अध्यक्ष के निर्देश के अनुसार बैठक के कम से कम 21 दिन पहले बैठक की तिथि एवं स्थान की सूचना देते हुए बैठक की सूचना जारी करेंगे. बैठक का एजेंडा बैठक के सात दिन पहले वितरित किया जाएगा. सदस्यों के पास एजेंडा ईमेल द्वारा भेजे जाने पर वितरित हुआ समझा जाएगा.

   परंतु, अध्यक्ष अपने विवेकानुसार जो भी मुद्दे अत्यावश्यक एवं महत्वपूर्ण समझे, उसे विचारार्थ उसी बैठक में प्रस्तुत कर सकेंगे. अध्यक्ष परिषद की सहमति से बैठक में चर्चा के लिए वितरित किए जा चुके किसी भी विषय को वापस ले सकते हैं तथा किसी भी विषय को अगली बैठक के लिए स्थगित कर सकते है.

5. शैक्षणिक परिषद के कुल सदस्यों में से कम से कम एक तिहाई सदस्यों के लिखित निवेदन पर कुलपति के परामर्श से एक दिन तय किए जाने पर कुलसचिव शैक्षणिक परिषद की विशेष बैठक बुला सकते हैं. ऐसी विशेष बैठक की मांग करनेवाले सदस्य बैठक में चर्चा किए जानेवाले एजेंडा के विषयों में प्रस्तावित विषयों को शामिल करेंगे और विशेष बैठक में केवल उन विषयों पर विचार किए जाएंगे.

   परंतु, मांग करनेवाले सदस्यों में से एक तिहाई सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं होने पर विशेष बैठक आयोजित नहीं की जाएगी.

6. शैक्षणिक परिषद के मौजूद सदस्यों के एक तिहाई सदस्य शैक्षणिक परिषद की बैठक के लिए गणपूर्ति कर सकेंगे.

   जहां शैक्षणिक परिषद की बैठक का आयोजन किया गया है और बैठक के लिए निर्धारित समय से आधे घंटे के अंदर अगर गणपूर्ति पूरी नहीं होती है, तो बैठक अगले सप्ताह के उसी दिन उसी समय के लिए तथा अध्यक्ष के निर्णय से किसी अन्य दिन और किसी अन्य समय और स्थान के लिए स्थगित की जाएगी. स्थगित बैठक की सूचना शैक्षणिक परिषद के सभी सदस्यों को भेजी जाएगी. अगर स्थगित बैठक में बैठक के निर्धारित समय से आधे घंटे के अंदर गणपूर्ति पूरा नहीं होता है, तो उपस्थित सदस्य गणपूर्ति बना सकेंगे.

   अगर बैठक के दिन एजेंडा के किसी मद पर विचार विमर्श अनिर्णीत रहें, तब बैठक अगले दिन भी जारी रहेगी अथवा अध्यक्ष के निर्णय से किसी अन्य दिन बैठक हो सकती है. जारी बैठक के लिए किसी प्रकार की गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी और अध्यक्ष की अनुमति के अलावा एजेंडा पहले वितरित किए जाने पर ही उस पर विचार विमर्श के लिए प्रतिबंधित होगा.

7. शैक्षणिक परिषद के कार्य का संचालन अध्यक्ष द्वारा विनियमित होगा.

8. बैठक के आयोजन के दौरान प्रत्येक सदस्य को बैठक की मर्यादा का पालन करना होगा और उनकी चर्चा विषय की प्रासंगिकता तक सीमित होगी. जबकि, अध्यक्ष द्वारा उचित समझे जाने पर निर्णय लेने के लिए कोई मुद्दा उठा सकते हें.

9. समान्यत: सभी निर्णय आम सहमति से लिए जाएंगे. जबकि, अगर स्थिति की मांग हो, अध्यक्ष मतदान के लिए एक संकल्प ले सकते हैं और निर्णय बहुमत के पक्ष में होगा. मामला अनिर्णीत रहने पर अध्यक्ष का मत निर्यायक मत होगा.

10. जब कभी शैक्षणिक परिषद द्वारा किसी मामले पर विचार किया जाना होता है, तो अध्यक्ष परिचलन के माध्यम से शैक्षणिक परिषद के सदस्यों के अनुमोदन प्राप्त कर सकेंगे. वैसी स्थिति में व्याख्यात्मक टिप्पणी के साथ मसौदा संकल्प तथा उससे संबन्धित कागजातों एवं दस्तावेजों की प्रति भेजी जाएगी और अगर शैक्षणिक परिषद के अधिक संख्यक सदस्यों द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाते है, तो उस मसौदा संकल्प को अनुमोदित समझा जाएगा.

11. बैठक का कार्यवृत्त कुलसचिव द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, जो अध्यक्ष के समक्ष उनके अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेंगे. अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित होने के बाद कार्यवृत्त को सदस्यों में उनकी टिप्पणी के लिए वितरित किया जाएगा. अगर सदस्यों की कोई टिप्पणी प्राप्त होती है, तो शैक्षणिक परिषद की अगली बैठक में उनकी पुष्टि होने से पहले उन पर विचार किया जाएगा.

12. पदेन सदस्य के अलावा कोई भी सदस्य कुलसचिव को लिखित सूचना देकर सदस्यता से इस्तीफा दे सकता है और ऐसे सदस्य कुलसचिव द्वारा उनके इस्तीफा पत्र प्राप्त होने की तिथि से सदस्य नहीं रहंगे.

13. इन विनियमों में संशोधन करने, निरस्त करने अथवा जोड़ने की क्षमता कार्यकारी परिषद में निहित होगी.

14. ये विनियम कार्यकारिणी परिषद के अनुमोदन की तिथि से प्रभावी होंगे.